(7)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र सं0 27 / 2015

1. पुरूषोत्तम उम्र 45 वर्ष
2. केदार उम्र 40 वर्ष
3. दामोदर उम्र 35 वर्ष

पुत्रान प्रभूदयाल समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान हथड़ोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील बौंली

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजमल जैन एडवोकेट वादीगण की और से

दिनांक 18.4.22

आदेश

वादीगण की और से यह दावा इस आशय का दायर किया कि वादीगण का सजरा खानदान में मंगलराम के दो पुत्र माधोलाल फोत, व रामविलास फोत थे । माधो लाल के दो पुत्र मदन लाल एवं सुवालाल दोनो लाओलाद फोत हो चुके हैं। तथा मृतक रामविलास पुत्र मंगल राम जाति ब्राहमण निवासी हथड़ौली की मृत्यु हो चुकी है उसके एक मात्र पुत्री दुर्गादेवी उनकी उत्तराधिकारी थी। रामविलास के कोई पुत्र नही था। दुर्गा देवी ने ही रामविलास की सेवा सुश्रुषाकी थी व उसकी तमाम चल व अचल सम्पत्ति पर अपने जीवन काल तक काबिज रही तथा दुर्गा देवी अपनी शादी के पश्चात भी अपने पीहर हथड़ौली मे आकर रहने लग गई थी तथा मृतक दुर्गादेवी व उसके पुत्रो ने ही रामविलास के समस्त चाल चलावा वगैरह किये। व समस्त रीति रिवाज सम्पन्न किये। दुर्गा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। वादीगण 1 लगायत 3 मृतक दुर्गा के पुत्र है। जो मृतक दुर्गा देवी व रामविलास की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर शुरू से ही काबिज चले आ रहे है व आज भी काबिज है। मृतक रामविलास पुत्र मंगलराम

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

निवासी हथड़ौली के हक में तत्कालीन तहसील मलारना चौड़ मुख्यालय बौंली के ग्राम हथड़ौली में खसरा नम्बर 788 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। परन्तु खसरा नम्बर 788 का केवल रकबा 10 विस्वा हीं था। अर्थात खसरा नं. 788 का रकबा 5 बीधा न होकर केवल 10 विस्वा हीं था जिसकी खातेदारी नारायण पुत्र छोटू, मूल्या पुत्र मिश्रया, लड्डू, रामचन्द्रा, हरिनारायण वगैरह बतौर मुर्तहीन तथा श्योनारायण, जमना लाल, सुवालाल पिसरान धूल्या, मूल्या, रामफूल, भरती पिसरान माधो, छीतर, गंगालाल, रामलाल पिसरान धन्ना, कजोड़पुत्र हरदेवा नाथ के नाम खातेदारी मे दर्ज थी जो अब भी उनकी ही खातेदारी मे दर्ज है। अर्थात गलती से मृतक रामविलास को दीगर व्यक्तियों के खातेदारी की भूमि अलोट कर दी गई जैसा कि जमाबन्दी संवत 2050–53 से साबित हैं। जबकि वरवक्त आवंटन वादीगण के नाना को कब्जा खसरा नम्बर 887 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हथड़ौली पर दिया गया जो उस वक्त बारानी सिवायचक थी। आज भी रामबिलास, दुर्गादेवी के समय से ही हम वादीगण खसरा नम्बर 887 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हथड़ौली पर काबिज है। तथा हमने काफी मेहनत करके उस भूमि को उपजाऊ बनाया है। जिससे इस भूमि की सिचाई करते है।तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2050–53 खसरा नम्बर 887/1 काफी बड़ा रकबा जमाबन्दी मे दर्ज है। वास्तव मे 887/1 मे से ही हमे अलोट की गई थी एवं इस भूमि मे से 5 बीघा भूमि पर हमारा कब्जा है। **जमाबंदी सम्वत 2050–53 मे खाता नम्बर 11 मे हमे अलोटेड 5 बीघा रकबा को नामान्तरण संख्या 1043 दिनांक 17.06.02 को बारानी दर्ज किया गया है,** अर्थात हमे अलोटेड 5 बीघा रकबा अलोटमेन्ट के समय बारानी था। साविक खसरा नम्बर 887 के दो मिन नम्बर दर्ज हुए है। जिनके हाल सेटलमेन्ट मे खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.01 हैं गैर मुमकिन कुआ है। जो हमने बनवाया है तथा खसरा नम्बर 1501 रकबा 1.15 हेक्टेयर दर्ज है। इस बाबत मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट सम्वत 2063–83 तक प्रस्तुत है। इसके साथ ही नक्शा भी खसरा नम्बर 1500 व 1501 का प्रस्तुत है। जिसमे हमारा कुआ दर्शा रखा है एवं खसरा नम्बर 1500 व 1501 की गिरदावरी भी सम्वत 2070 की संलग्न है। मृतक रामविलास ने आवंटन की दरख्वास्त मे खसरा नम्बर 887 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हथड़ौली तत्कालीन तहसील मलारना चौड़ मु. बौंली के लिए ही दरख्वास्त दी थी व कब्जा भी खसरा नम्बर 887 रकबा 5 बीघा पर ही दिया गया था। तथा हम वादीगण रामविलास के

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

समय से ही इस पर लगातार काबिज है व अब भी काबिज है सहवन व गलती से अलोटमेन्ट आदेश मे खसरा नम्बर 887 की जगह 788 दर्ज हो गया खसरा नम्बर 788 मे 5 बीघा रकबा ही नही है । इस प्रकार बरबक्त आवंटन लिपीकीय भूल वश ख.नं. 887 के स्थान पर 788 लिख दिये गयें । इसकी जानकारी दिनांक 25.1.15 को पटवारी हल्का ने हमसे कहा कि तुमने सिवायचक जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए तुम्हे बेदखल किया जावेगा। हमने कहा कि हमारे बुजुर्ग रामविलास को यह जमीन आवंटित हुई है। एवं उसका शुरू से ही इस भूमि पर कब्जा रहा है व तत्पश्चात् उनकी पुत्री दुर्गा देवी का कब्जा रहा है व अब हमारा कब्जा है। हम मृतक रामनिवास के विधिक उत्तराधिकारी है, हमारा कब्जा 50-60 वर्ष से है। उक्त आराजीयात पर वादीगण का कदीम से कब्जा है जो 30 वर्ष से अधिक अवधि का होने के कारण भी बाई एडवर्स पजेशन हमे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीगण अपने हको से महरूम हो गये है । अतः इन्द्राज दुरूस्त करने बाबत घोषणा फरमायी जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं होने पर व वकालत नामा पेश नही करने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। चूँकि प्रकरण में जबाव दावा पेश नहीं किया इस कारण तनकीयात विरचित नहीं की गयी।

वादीगण की और से साक्ष्य पी.ड.1 पुरूषोत्तम, पी.ड02 सुरेश एवं पी.ड.3 कैलाश ली गयी, एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श-1 निर्णय एडवायजरी कमेटी व.मु. हथडोली दिनांक 24.7.68, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2050-53 खाता संख्या 130 ग्राम हथडोली, प्रदर्श-3 जमाबंदी संवत 2050-32 खाता सं.1, प्रदर्श-4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श-5 खेवट खतोनी संवत 2069-72 खाता सं.1, प्रदर्श-6 राजस्व नक्शा, प्रदर्श-7 खसरा गिरदावरी संवत 2070, पेश कियें।

बहस वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

साक्ष्य पी.ड.1 पुरूषोत्तम ने अपने बयान अपने दावे का समर्थन किया तथा उक्त दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें साक्ष्य पी.ड.2 व 3 ने अपने बयान हेतु

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

पेश शपथ पत्रों में रामबिलास वादीगण के नाना, एवं दुर्गा देवी पुत्री होने बाबत कथन किया तथा दुर्गादेवी के वादीगण पुत्र हैं और कोई रामबिलास के वारिस नहीं हैं। रामबिलास के जमाने से उनका कब्जा व काश्त खसरा नं. 887 रकबा 5 बीधा पर हैं तथा आज भी वादीगण का हीं कब्जा काश्त हैं। उक्त आराजीयात के नये नम्बर 1500 एवं 1501 कायम किये हैं जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं।यह तथ्य भी सत्य हैं कि खसरा नं. 788 का रकबा केवल 10 विस्वा मात्र हैं तो वादीगण के पूर्वज रामविलास को 5 बीधा भूमि का उक्त आराजी में आवंटन होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ हीं नामान्तरकरण सं. 1043 दिनांक 17.6.2002 से आराजी खसरा नं. 887/1 मे से 5 बीधा भूमि बारानी –1 मे किस्म परिवर्तन हुयी हैं। प्रकरण के वजूहात के आधार पर न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार बौली से तलब की गयी। जो शामिल पत्रावली की गयी। उसके आधार पर वादीगण का कब्जा खसरा नं. 1500 एवं 1501 पर होना पाया गया । ख.नं.1501 रकबा 1.15 है. वर्तमान में गेर मुम. खारडा एवं ख.नं.1500 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु.चाह दर्ज रिकोर्ड हैं।

हमने न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2013 पेज 205 राजस्थान राज्य बनाम रामचरण व अन्य का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत मे यह अभिमत व्यक्त किया हैं कि रेस्पोडेन्ट को भूमि का आवंटन किया गया पटवारी हलका द्वारा दिनांक 21.7.1970 को कब्जा दिया गया। रेस्पोडेन्ट बदस्तूर काबिज हैं लेकिन राजस्व रिकोर्ड में प्रविष्टि नहीं की गयी। माननीय न्यायालय ने यह माना हैं कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाहीं के कारण वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं किया गया , लगातार काबिज हैं अतः उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में साविक खसरा नं. 887 रकबा 5 बीधा के हाल खसरा नम्बर 1501 रकबा 1.15 हैक्टैयर, गै.मु.खारडा, एवं 1500 रकबा 0.01गे.मु. चाह वादीगण के पूर्वज रामविलास की आवंटन शुदा भूमि हैं जिसका राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायहित में विधिसंगत हैं।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

पेश शपथ पत्रों में रामविलास वादीगण के नाना, एवं दुर्गा देवी पुत्री होने बावत कथन किया तथा दुर्गादेवी के वादीगण पुत्र हैं और कोई रामविलास के वारिस नहीं हैं। रामविलास के जमाने से उनका कब्जा व काश्त खसरा नं. 887 रकबा 5 बीधा पर हैं तथा आज भी वादीगण का हीं कब्जा काश्त हैं। उक्त आराजीयात के नये नम्बर 1500 एवं 1501 कायम किये हैं जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं।यह तथ्य भी सत्य हैं कि खसरा नं. 788 का रकबा केवल 10 विस्वा मात्र हैं तो वादीगण के पूर्वज रामविलास को 5 बीधा भूमि का उक्त आराजी में आवंटन होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ हीं नामान्तरकरण सं. 1043 दिनांक 17.6.2002 से आराजी खसरा नं. 887/1 मे से 5 बीधा भूमि वारानी –1 मे किस्म परिवर्तन हुयी हैं। प्रकरण के वजूहात के आधार पर न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार बौली से तलब की गयी। जो शामिल पत्रावली की गयी। उसके आधार पर वादीगण का कब्जा खसरा नं. 1500 एवं 1501 पर होना पाया गया । ख.नं.1501 रकबा 1.15 है. वर्तमान में गेर मुम. खारडा एवं ख.नं.1500 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु.चाह दर्ज रिकोर्ड हैं।

हमने न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2013 पेज 205 राजस्थान राज्य बनाम रामचरण व अन्य का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत मे यह अभिमत व्यक्त किया हैं कि रेस्पोडेन्ट को भूमि का आवंटन किया गया पटवारी हलका द्वारा दिनांक 21.7.1970 को कब्जा दिया गया। रेस्पोडेन्ट बदस्तूर काबिज हैं लेकिन राजस्व रिकोर्ड में प्रविष्टि नहीं की गयी। माननीय न्यायालय ने यह माना हैं कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाहीं के कारण वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं किया गया , लगातार काबिज हैं अतः उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में साविक खसरा नं. 887 रकबा 5 बीधा के हाल खसरा नम्बर 1501 रकबा 1.15 हैक्टैयर, गै.मु.खारडा, एवं 1500 रकबा 0.01गे.मु. चाह वादीगण के पूर्वज रामविलास की आवंटन शुदा भूमि हैं जिसका राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायहित में विधिसंगत हैं।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

आदेश

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का दावा स्वीकार कर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. ग्राम हथडोली तहसील बौली की आराजी खसरा नं. 1501 रकबा 1.15 हैक्टेयर गै.मु.खारडा एवं ख.नं.1500 रकबा 0.01 गै.मु. राह का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

डिक्री जारी हो।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली

आदेश आज दिनांक 18.4.22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौली